इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377] भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 सितम्बर 2019—भाद्र 16, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्र. 14910-248-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिसपर दिनांक 6 सितम्बर 2019 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ६ सितम्बर, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ७ सितम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २००९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थीं, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०१९ है.

३१ मार्च, २००९ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये ५,७९,२५,७७३ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग (रुपये पांच करोड़ उन्यासी लाख पच्चीस हजार सात सौ तिहत्तर) होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त	भारित	योग
		रुपये	**रुपये**	रुपये
२४.	लोक निर्माण (सड़क तथा पुल)		**५०,००,०००**	५०,००,०००
४३.	खेल एवं युवा कल्याण	१,६१,७१,५८१		१,६१,७१,५८१
६२.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	३,६७,५४,१९२		३,६७,५४,१९२
	योग :	५,२९,२५,७७३	**५०,००,०००**	५,७९,२५,७७३

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्र. 14910-248-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2019

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 5) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 6th September, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th September, 2019.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2009 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 2019.

Issue of Rs. 5,79,25,773 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2009.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Five Crore Seventy-Nine Lakh Twenty Five Thousand Seven Hundred Seventy Three Rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the Financial Year ended on the 31st day of March, 2009 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the Financial Year ended on the 31st day of March, 2009.

THE SCHEDULE

(*See* Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purpose	(3) Excess		
		Voted	Charged	Total
		Rs.	**Rs.**	Rs.
24	Public Works Road and Bridge	-	**50,00,000**	50,00,000
43	Sport and Youth Welfare	1,61,71,581	-	1,61,71,581
62	Rural Development	3,67,54,192	-	3,67,54,192
	Total . .	5,29,25,773	**50,00,000**	5,79,25,773

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.